रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 127] नई दिल्ली, शुक्रवार, जनवरी 22, 2010/माघ 2, 1931

No. 127] NEW DELHI, FRIDAY, JANUARY 22, 2010/MAGHA 2, 1931

कृषि मंत्रालय

(कृषि और सहकारिता विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 जनवरी, 2010

का.आ. 166(अ).—कीटनाशी अधिनियम, 1968 की धारा 5 के अधीन गठित रजिस्ट्रीकरण समिति ने 15-2-2006 को हुई अपनी 261वीं बैठक में यह विनिश्चय किया कि विशेषज्ञ समूह द्वारा दिए गए सुझाव के अनुसार विनिर्माताओं द्वारा सृजित की जाने वाली न्यूनतम अवसंरचनात्मक सुविधाओं के लिए मार्गदर्शक सिद्धांतों को विनिर्माण अनुज्ञप्ति जारी करने के लिए राज्य के अनुज्ञापन जारी करने वाले प्राधिकारियों के मार्गदर्शन के लिए रसायनिक नाशकजीवमारों के सभी रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्रों के साथ संलग्न होगा;

और नाशकजीवमारों के विनिर्माण के लिए आवश्यक न्यूनतम अवसंरचनात्मक सुविधाओं को पूरा करने की बाबत हरियाणा राज्य में कीटनाशकों के विनिर्माण करने वाले परिसरों का निरीक्षण और जांच करने के लिए गठित संयुक्त दल ने यह पाया कि कतिपय विनिर्माता अपने परिसरों में कीटनाशकों के विनिर्माण के लिए अपेक्षित न्यूनतम अवसंरचनात्मक सुविधाओं का अनुरक्षण नहीं कर रहे थे;

और ऐसे विनिर्माताओं को कारण बताओ नोटिसें जारी की गई थी कि उन्हें अनुदत्त विभिन्न रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्रों को क्यों न रद्द कर दिया जाए;

और रजिस्ट्रीकरण समिति ने 26-9-2008 को हुई अपनी 293वीं बैठक में यह विनिश्चय किया कि ऐसे विनिर्माताओं के रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्रों को, जिन्होंने नाशकजीवमार के लिए न्यूनतम अवसंरचनात्मक सुविधाओं का पालन नहीं किया है प्रत्याहृत कर लिया जाए;

अब केन्द्रीय सरकार कीटनाशी अधिनियम, 1968 (1968 का 46) की धारा 27 की उप-धारा (2) के साथ पठित धारा 28 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, रजिस्ट्रीकरण समिति की सिफारिश पर विचार करने के पश्चात् और यह समाधान होने पर कि इस आदेश में विनिर्दिष्ट विनिर्माताओं ने नाशकजीवमारों के लिए न्यूनतम अवसंरचनात्मक सुविधाओं का पालन नहीं किया है और तदनुसार लोक सुरक्षा को खतरा पहुंचाया, निम्नलिखित आदेश बनाती है, अर्थात् :-

आदेश

1. (1) इस आदेश का संक्षिप्त नाम रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र रद्दकरण आदेश, 2010 है।

(2) यह राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगा।

2. रजिस्ट्रीकरण समिति द्वारा निम्नलिखित विनिर्माताओं को जारी रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र रद्द हो जाएंगे :-

(1) मैसर्स ज्योती इन्सेक्टिसाइड्स, ईश्वर इंडस्ट्रीज बिल्डिंग, चरखी दादरी, भिवानी (हरियाणा)।

(2) मैसर्स महामाया लाइफ साइंसेज (पी) लिमिटेड, 1360, एमआईई, बहादुरगढ़ (हरियाणा)।

3. हरियाणा राज्य सरकार अपनी अधिकारिता में ऐसे सभी कदम उठाएगा जो वह कीटनाशी अधिनियम, 1968 (1968 का 46) और इसके अधीन विरचित नियमों के अंतर्विष्ट उपबंधों के अनुसार इस आदेश के निष्पादन के लिए ठीक समझे ।

[फा. सं. 17-50/2008-पीपी-I]

पंकज कुमार, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF AGRICULTURE

(Department of Agriculture and Co-operation)

NOTIFICATION

New Delhi, the 22nd January, 2010

S.O. 166(E).—Whereas, the Registration Committee constituted under Section 5 of the Insecticides Act, 1968 decided in its 261st meeting held on 15-2-2006 that the guidelines for minimum infrastructural facilities to be created by the manufacturers as suggested by the Expert Group shall be enclosed with all Certificates of Registration of chemical pesticides for guidance to licensing authorities of the State Department to issue manufacturing licenses;

And whereas, the joint team constituted to inspect and check the insecticides manufacturing premises in the State of Haryana with respect to the fulfillment of minimum infrastructure facilities necessary for manufacturing of pesticides found that certain manufacturers were not maintaining the minimum infrastructure facilities required for the manufacture of insecticides in their premises;

And whereas, show cause notices were issued to such manufacturers as to why the various Certificates of Registration granted to them should not be cancelled;

And whereas, the Registration Committee in its 293rd meeting held on 26-9-2008 decided that the Certificates of Registration of manufacturers who have not complied with the minimum infrastructure facilities for pesticides, may be withdrawn;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 27 read with Section 28 of the Insecticides Act, 1968 (46 of 1968), the Central Government, after considering the recommendation of the Registration Committee and on being satisfied that the manufacturers specified in this order have not complied with the mini mum infrastructural facilities for pesticides and thereby endangered public safety, hereby makes the following Order, namely:—

ORDER

1. (1) This Order may be called the Cancellation of Certificate of Registration Order, 2010.

   (2) It shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

2. The Certificates of Registration issued by the Registration Committee to the following manufacturers shall stand cancelled :—

   (1) M/s. Jyoti Insecticides, Ishwar Industries Building, Charkhi Dadri, Bhiwani (Haryana).

   (2) M/s. Mahamaya Life Sciences (P) Ltd., 1360, MIE, Bahadurgarh (Haryana).

3. The State Government of Haryana shall take all such steps in its jurisdiction as it may deem fit for carrying out execution of this order as per the provisions contained in the Insecticides Act, 1968 (46 of 1968) and the rules framed thereunder.

[F. No. 17-50/2008-PP.I]

PANKAJ KUMAR, Jt. Secy.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.